भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2704

दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन

2704. सुश्री सुनीता दुग्गल:

श्री सुब्रत पाठक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और आवंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मिशन के अंतर्गत राज्यों की क्या भूमिका है;

(ग) क्या उक्त मिशन में महामारियों, कैंसर और क्षय रोग के मामलों की प्रभावी निगरानी हेतु जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट घटक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मिशन के अंतर्गत अब तक पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत आरम्भ की गई कोई परियोजनाएं/ प्रस्ताव अथवा धनराशि जारी की गई हैं और यदि हां, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों (सीएस) के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसका योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रु का परिव्यय है।

इस योजना के तहत उपाय सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तर पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर और वर्तमान तथा भावी महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने पर केंद्रित है।

इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मौजूद स्वास्थ्य अवसरंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में अत्यधिक अंतराल को भरना है।

इस योजना के सीएस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित घटक हैं:

i. 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) के साथ प्रशिक्षण और मेनटरिंग स्थलों के रूप में 12 केंद्रीय संस्थान;

ii. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), 5 नए क्षेत्रीय एनसीडीसी और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण;

iii. सभी जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार;

iv. 17 नई जन स्वास्थ्य इकाइयों का प्रचालन शुरू करना और 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग के प्रवेश स्थलों पर 33 मौजूदा जन स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना,

v. 15 स्वास्थ्य आपातकालीन शल्य चिकित्सा केंद्र और 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों की स्थापना; और

vi. वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच और 9 जैव-सुरक्षा स्तर III प्रयोगशालाओं की स्थापना।

इस योजना के सीएसएस घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित सहायता का प्रावधान है:

i. 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) का निर्माण। एचडब्ल्यूसी की स्थापना 5000 की आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों में और 3000 की आबादी वाले पहाड़ी, आदिवासी, रेगिस्तानी आदि कठिन क्षेत्रों में की जानी है।

ii. मलिन बस्ती जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता। मुख्य रूप से गरीब और कमजोर आबादी, मलिन बस्ती और मलिन बस्ती जैसे क्षेत्रों के निवासियों की देखभाल के लिए 15,000-20,000 की आबादी पर एक शहरी-एचडब्ल्यूसी स्थापित किया जाना है।

iii. ब्लॉक स्तर पर 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना।

iv. 730 जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) की स्थापना।

v. 602 जिलों (5 लाख से अधिक आबादी वाले) और अन्य जिलों में रेफरल लिंकेज के साथ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना ।

पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मौजूदा कार्य ढांचे, संस्थानों और कार्य तंत्रों के अनुसरण में कार्यान्वित किया गया है। प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त होते हैं और भारत सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा के अनुसार समग्र संसाधन क्षमता के भीतर मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इन प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान करती है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारी संयुक्त रूप से शामिल होते हैं। चूंकि जन स्वास्थ्य

और अस्पताल राज्य का विषय है, इसलिए योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

योजना के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए, योजना के परिचालन दिशानिर्देश और सीसीबी और आईपीएचएल पर तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न अभिविन्यास और समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. तकनीकी सहायता के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना के लिए योजना अवधि के दौरान 270.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ii. कार्यों की शीघ्र शुरुआत और उन्हें पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के कार्यकलापों और वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमोदित कार्यकलापों की तैयारी करना ।

iii. राज्यों को सलाह दी गई कि वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (यानी एनबीसीसी, एचएससीसी, एचएलएल, एचआईटीईएस आदि) या सीपीडब्ल्यूडी को अपनी निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/अपनी पीएमसी बोलियों के विज्ञापनों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

अब तक, दिनांक 25.07.2023 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 7,808 उप-स्वास्थ्य केंद्रों- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, 2,168 यू-एचडब्ल्यूसी, 1557 बीपीएचयू, जिला स्तर पर 561 आईपीएचएल और 443 सीसीबी के निर्माण कार्य/सुदृढ़ीकरण के लिए 21,130.89 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई मंजूरी और जारी की गई निधि का विवरण क्रमशः अनुलगनक-I और अनुलग्नक-II में है।

****

अनुलग्नक-I

(करोड़ रुपये में)

पीएम-एबीएचआईएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदन*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित इकाईयां					अनुमोदित कुल राशि
		भवन-रहित एससी-एचडब्ल्यूसी	यू-एचडब्ल्यूसी	बीपीएचयू	आईपीएचएल	सीसीबी	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0	184	0	13	14	540.75
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	22	1	66.94
4	असम	768	0	207	33	27	1300.67
5	बिहार	2546	0	59	12	12	1877.11
6	चंडीगढ़	0	19	0	1	0	22.25
7	छत्तीसगढ	0	0	91	28	23	831.36
8	दादर और नागर हवेली दमन और दीव	0	4	0	3	1	35.00
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0.00
10	गोवा	0	0	0	2	2	50.00
11	गुजरात	0	0	0	26	26	793.73
12	हरियाणा	0	0	0	22	22	627.67
13	हिमाचल प्रदेश	0	8	20	3	2	74.94
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	79	230	16	8	599.81
15	झारखंड	893	0	29	7	7	714.84
16	कर्नाटक	0	114	0	9	9	281.26
17	केरल	0	0	0	14	14	404.63
18	लद्दाख	0	0	0	2	0	2.50
19	लक्षद्वीप	0	0	0	1	0	1.25
20	मध्य प्रदेश	0	0	196	52	50	1543.41
21	महाराष्ट्र	0	0	0	18	18	508.75
22	मणिपुर	64	0	0	14	2	113.27
23	मेघालय	151	0	0	3	0	88.04
24	मिजोरम	0	1	0	10	1	38.96
25	नगालैंड	0	0	0	11	1	45.34
26	ओडिशा	604	0	153	24	22	1024.92
27	पुदुचेरी	0	32	0	4	3	158.44
28	पंजाब	0	0	0	18	16	478.79
29	राजस्थान	1112	47	33	10	10	794.58
30	सिक्किम	0	0	0	3	1	28.97
31	तमिलनाडु	0	0	0	38	33	943.95
32	तेलंगाना	0	496	0	33	31	1369.03
33	त्रिपुरा	0	0	0	7	1	35.73
34	उत्तर प्रदेश	1670	674	515	75	62	4352.23
35	उत्तराखंड	0	0	24	4	2	71.93
36	पश्चिम बंगाल	0	510	0	23	22	1309.84
	कुल	**7808**	**2168**	**1557**	**561**	**443**	**21,130.89**

*(25.07.2023 तक)

अनुलग्नक- II

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक पीएम-एबीएचआईएम के तहत केंद्रीय रिलीज				
क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	1.11	-
2	आंध्र प्रदेश	3.75	15.76	-
3	अरुणाचल प्रदेश	0.56	0.1	-
4	असम	57.9	2.26	-
5	बिहार	125.86	7.17	-
6	चंडीगढ़	-	4.79	-
7	छत्तीसगढ़	11.25	1.34	-
8	दादर और नागर हवेली दमन और दीव	-	0.24	-
9	दिल्ली	-	-	-
10	गोवा	-	0.06	-
11	गुजरात	-	29.54	39.54
12	हरियाणा	11.06	1.31	-
13	हिमाचल प्रदेश	-	28.05	-
14	जम्मू एवं कश्मीर	16.11	1	-
15	झारखंड	44.7	183.04	-
16	कर्नाटक	11.25	37.1	-
17	केरल	3.75	24.89	-
18	लद्दाख	-	0	-
19	लक्षद्वीप	-	0.63	-
20	मध्य प्रदेश	22.85	98.7	-
21	महाराष्ट्र	17.45	4.07	-
22	मणिपुर	4.56	10.92	-
23	मेघालय	9.65	43.28	-
24	मिजोरम	0.28	1.52	-
25	नगालैंड	0.28	0.08	-
26	ओडिशा	32.15	211.46	41.44
27	पुदुचेरी	0.42	0.19	0.89
28	पंजाब	-	24.16	-
29	राजस्थान	45.37	83.59	76.01
30	सिक्किम	-	0.75	-
31	तमिलनाडु	17.45	150.42	47.99
32	तेलंगाना	11.25	53.88	39.57
33	त्रिपुरा	-	0.9	-
34	उत्तर प्रदेश	124.63	173.71	123.98
35	उत्तराखंड	1.56	32.31	-
36	पश्चिम बंगाल	9.95	-	30.91
	कुल	**584.04**	**1,228.35**	**400.33**

टिप्पणी:

1. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय रिलीज 24.07.2023 तक अद्यतन की गई है और अनंतिम है।
2. उपरोक्त जारी की गई धनराशियां केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं। इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।